



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जयपुर
मुख्यालय बनीपार्क फायर स्टेशन जयपुर

क्रमांक:- एफ.9(148)आ.फा./न.नि.ज/13-14/2105 दिनांक:-5-12-2017

प्रेषित:- मैसर्स जयपुर इन्वेस्टमेंट लि0 कम्पनी,
जरिये निदेशक अजय कुमार ऑचलिया,
एस-5, कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर।

विषय:- अग्निशमन अस्थाई अनापत्ति पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग:- एस-5 कबीर मार्ग स्थान बनीपार्क जयपुर।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा दिनांक 21.11.2013 को इस विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बहुमंजिला इमारत/परिसर निर्माण से पूर्व अग्निशमन की दृष्टि से अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति चाही है। आवेदित स्थल का मौका निरीक्षण किया गया आवेदक मैसर्स जयपुर इन्वेस्टमेंट लि0 कम्पनी, जरिये निदेशक श्री अजय कुमार ऑचलिया, एस-5 कबीर मार्ग स्थान बनीपार्क जयपुर में उक्त भूखण्ड में बहुमंजिला इमारत/परिसर का निर्माण सलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से निम्न शर्तों की पालना करने को बाध्य करते हुये अग्निशमन की अस्थाई अनापत्ति जारी की जाती है।

1. भवन का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जयपुर/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा स्वीकृत मानचित्रानुसार करना होगा।
2. निर्माण किये जाने वाले भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर लिफ्ट व फायर स्टेयर केस एवम् नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप आग से बचाव, आग बुझाने व आग से सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।
3. निर्मित किये जाने वाले बहुमंजिला भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप फायर हाईड्रेन्ट मय होज व नोजल, होजरील होज, फायर एग्स्टीनग्युसर, एम.सी.पी मय हुटर, फायर डिटेक्शन सिस्टम मय फायर पेनल, फायर स्प्रिंकलर, एमरजेन्सी लाईट, अण्डर ग्राउण्ड व ओवर हैड फायर पानी का टैंक मय पम्प आदि लगाना अनिवार्य होगा।
4. आवेदक को अपर बेसमेन्ट, लोवर बेसमेन्ट, ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम से ग्यारह मंजिल व टेरेस तक 36.00 मीटर ऊंचाई की फायर अनापत्ति पत्र के साथ हस्ताक्षरित नक्शों में दर्शाई गई मान्य होगी।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारों ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुँचने हेतु व चारों तरफ धुमने व कार्य करने के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड एवम् जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 के अनुरूप न्यूनतम 18 फुट खाली स्थान (गलीयारा) रखना होगा एवम् उक्त रखे गये खाली स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिछाजन व वालकानी का निर्माण निषेध होगा।
6. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुँचे इसके लिये स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।

D:\New folder\ N-O-C New Letter 410

For Jaiipur Investment Ltd

[Signature]

Director

For Jaiipur Investment Ltd.

[Signature]
Auth. Signatory

[Signature]
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

7. अस्थाई अग्निशमन अभिषां के स्वीकृत नक्शों में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि सम्बन्धी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस सम्बन्ध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवाकर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही भवन का उपयोग लिया जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अनापत्ति प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
9. भवन में धुआँ निकासी के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप उचित व्यवस्था करनी होगी।
10. जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 की पालना अनिवार्य होगा।
11. यह अस्थाई अनापत्ति जारी करने की दिनांक से तीन वर्ष तक के लिये मान्य होगी इस अवधि में प्रत्येक छः माह में अग्निशमन अधिकारीयों द्वारा भवन में लगाये गये अग्निशमन यन्त्रों का निरीक्षण किया जावेगा व अग्निशमन यन्त्र नहीं पाये जाने पर अस्थाई अनापत्ति निरस्त की कार्यवाही की जावेगी। अनापत्ति अवधि समाप्ति पूर्व भवन में उपरोक्त वर्णित समस्त व्यवस्था कर आवेदक को स्थाई फायर अनापत्ति लेनी होगी अगर तीन वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो पुनः आवेदन कर स्थल का मौका निरीक्षण कर अनापत्ति अवधि बढ़वानी होगी व अस्थाई अनापत्ति अवधि समाप्ति पश्चात स्थाई अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अवधि समाप्ति पश्चात जमा अमानता राशि जप्त की जा सकेगी व नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत भवन को सील किया जा सकेगा आवेदक का जमा अमानता शुल्क जप्त किया जा सकेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम जयपुर।

For Jaipur Investment Ltd

Raj Arora
Director

For Jaipur Investment Ltd.

Auth. Signatory
Auth. Signatory

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जयपुर